

कार्यालय जिलाधिकारी, अयोध्या

(खनन अनुमाग)

संख्या: 211 / क्षेत्री कार्यालय

दिनांक: 8 जुलाई, 2023

ई-निविदा आमंत्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद जनपद अयोध्या के तहसील सोहावल के ग्राम हरीपुर जलालाबाद गाटा सं 387/1.071 हेठो में भण्डारित साधारण बालू जिसका भण्डार स्थामी द्वारा नवीनीकरण नहीं कराया गया, उक्त भण्डारित बालू को शासनादेश संख्या-715/86-2017-57(स) /2017 दिनांक 22.04.2017 व शासनादेश संख्या 2595/86-2018-12 (सामा०) /2018 दिनांक 03.12.2018 में दिये गये निर्देशानुसार 03 माह की अल्प अवधि के लिए ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से दिनांक 24.07.2023 से 01.08.2023 तक ई निविदा etender.up.nic.in पोर्टल के माध्यम से निम्न विवरण के अनुसार आंमत्रित किया जाता है:-

जनपद अयोध्या तहसील सोहावल में सीज अवैध रूप से भण्डारित सा० बालू विवरण

क्रमांक	तहसील/ ग्राम	गाटा संख्या	खनिज का नाम	सीज के उपरान्त अनुमानित भण्डारित बालू मात्रा (घन मी०)	रायल्टी दर	न्यूनतम आरक्षित मूल्य (घन मी०)	कुल धनराशि का 75 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी
1	लाट-01 सोहावल/ हरीपुर जलालाबाद	387	साधारण बालू	15000	65	9,75,000	7,31,250
लाट संख्या विन्दु (Pillars) अक्षांश (Longitude) देशान्तर (Longitude)							
01 A 26°45'22.1" 082°02'58.2"							
B 26°45'23.5" 082°02'54.9"							
C 26°45'26.7" 082°02'55.5"							
D 26°45'26.7" 082°02'57.5"							

2. सभी खण्डों से बालू हटाने/उठाने की अवधि अधिकतम 03 माह होगी जिसमें कोई विस्तार अनुमत्य नहीं होगा।
3. कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई-निविदा संलग्न प्रारूप-2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी:-
 - क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो।
 - ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक
 - ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान)
 - ई-मेल एवं मोबाइल नं०
 - घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए उसने निविदा प्रस्तुत की है, जिसमें निम्न हो-
उपखनिज का नाम-
तहसील का नाम-
भण्डारित स्थल का नाम/ग्राम-
खण्ड संख्या/लाट संख्या-
विज्ञप्ति में दी गयी भण्डार की मात्रा-
 - ड. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मोबाइल नं० (पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा—आधार कार्ड/वोटर आई डी/पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिए उनका पंजीकरण का विवरण)
 - च. खनिज के प्रति धनमीटर के लिए दी जाने वाली दर, जो खनिज के लिए नियमावली 2021 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।
 - छ. बालू की मात्रा (घनमीटर) को नियमावली 2021 की अनुसूची-1 में उपखनिज की प्रचलित रायल्टी दर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी, उसका 75 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का बैंकड्राफ्ट जिलाधिकारी अयोध्या के पक्ष में अग्रिम के रूप में दी जायेगी। बैंक ड्राफ्ट की मूलप्रति ई निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगी उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।
 - ज. खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र।
 - च. उस जिले के जिलाधिकारी, जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र।
 - छ. पैन कार्ड एवं फोटो युक्त पहचान पत्र।
 - ज. ई-निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अप्रतिदेय आवेदन शुल्क 15,000/- के जमा का चालान।
4. ई-निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक 24.07.2023 से 01.08.2023 के 07 कार्य दिवस के अन्दर अपराह्न 5.00 बजे तक ई-टेण्डर पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई-निविदा अपलोड की जायेगी।

Au

यूपी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में ई-टेण्डरिंग लागू किये जाने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकर को ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:-

- (क) ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।
- (ख) ई-टेण्डरिंग पोर्टल पर विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा अपनी कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराया जायेगा।
- (ग) विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स ई-टेण्डर पोर्टल पर प्रशिक्षण यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

6. निविदाकार द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन ई-टेण्डरिंग पर करा लेने तथा डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के उपरान्त अपनी निविदा ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जानी होगी:

- i. सर्वप्रथम निविदाकार द्वारा ई-टेण्डर पोर्टल पर लॉगिन आईडी० (Login ID) व पासवर्ड (Password) के द्वारा ई-टेण्डर पोर्टल में प्रवेश किया जायेगा।
- ii. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का सत्यापन (Verification) ई-टेण्डर पोर्टल पर किया जाना होगा।
- iii. निविदाकार द्वारा सर्च एक्टिव टेंडर (Serch Active Tender) पर विलक कर अपनी रुचि की निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (Paritipate) करने हेतु विलक करना होगा।
- iv. निविदाकार द्वारा कम्प्यूटर स्क्रीन पर ही निविदा सम्बन्धित सभी जानकारी को सीधे देखा जा सकता है अथवा उक्त निविदा को डाउनलोड कर प्रिन्ट आउट द्वारा विवरण को पढ़ा जा सकता है।
- v. निविदाकार द्वारा निविदा को समुचित अध्ययन किये जाने के उपरान्त अपनी निविदा का ई-टेण्डर पर अपलोड करने के पूर्व प्रस्तर-३ में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न अभिलेखों, दस्तावेजों की स्कैण्ड कापी कर पी०डी०एफ० बनायी जानी होगी।
- VI. ई-टेण्डर डाकुमेन्ट्स की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वांछित दस्तावेजों की पी०डी०एफ० फाइल तैयार हो जाने के पश्चात निविदाकार द्वारा “पे आफ लाइन” (Pay offline) विकल्प पर विलक करने पर एग्रीमेंट (Agreement) आईकन के कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने पर निविदाकार द्वारा आई एग्री-सबमिट (I Agree Submit) पर विलक करना होगा।

VII. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा प्रीबिड अर्नेस्ट मनी से सम्बन्धित कालम में जमा धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, बैंक का नाम इत्यादि विवरण भरना होगा। भुगतान के विवरण की प्रविष्टियों भरने के बाद उसको Save कर लिया जायेगा।

VIII. निविदाकार द्वारा अपनी निविदा को अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर विलक करना होगा जिससे कि प्रिबिड अर्नेस्ट मनी को टेण्डर के साथ जमा किये जाने से सम्बन्धित कार्य पूर्ण माने जायेंगे।

IX. यदि निविदाकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा सबमिट की गई तकनीकी एवं वित्तीय बिड में कोई त्रुटि है अथवा उनके द्वारा पूर्व में जमा की गई निविदा/बिड्स में संशोधन करना वांछनीय है, तो माई बिड्स (My Bids) आईकन में विलक कर पुनः पूर्व प्रक्रिया को अपनाते हुए ई निविदा रि-बिड सबमिशन (Rebid Submission) पर विलक कर पुनः सबमिट (Submit) कर सकते हैं। निविदाकार द्वारा यह कार्य टेण्डर जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि और समय से पूर्व किया जा सकता है। अन्तिम बार प्रस्तुत की गई निविदा (Last Submit Bid) ही ई-टेण्डर पोर्टल पर अनुमन्य होगी। पूर्व प्रस्तुत की गई बिड्स अनुमन्य नहीं होगी।

7. विज्ञप्ति के अनुसार ई-निविदा ०७ कार्यदिवसों में प्राप्त ई निविदाओं को अगले कार्यदिवस दिनांक ०२.०८.२०२३ अपराह्न १.०० बजे लोकसभागार कलेकट्रेट अयोध्या में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों के द्वारा खोला जायेगा।

8. विन्दु संख्या-३ में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा विन्दु संख्या-३ में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व दिनांक ०१.०८.२०२३ के ५.०० बजे के पूर्व जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

9. भण्डारित साधारण बालू के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति के संरक्षित के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा हटाने सम्बन्धी अनुज्ञाप्ति जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

10. जिलाधिकारी को कोई कारण बताए बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
11. ई-टेण्डर साईट का उपयोग करने के लिए Pentium-IV अथवा उच्च विशिष्टियों युक्त कम्प्यूटर तथा ब्राउज़रैंड इन्टरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगा इन्टरनेट केन्द्र की सेवाएं ली जा सकती है।

A

12. जिला स्तर पर ई-टेंडरिंग से सम्बन्धित टेंडर्स अपलोड किये जाने, टेंडर्स खोले जाने इत्यादि कार्यों हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC) से सहायता ली जा सकती है तथा अन्य किसी जानकारी/स्पष्टीकरण/परीक्षण हेतु यूपी भण्डारण स्थल अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय अयोध्या के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।
13. भण्डारित साधारण बालू के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन किया जायेगा। सफल सहमति पत्र (लेटर ऑफ इस्टेंट) जारी किया जायेगा। सहमति पत्र निर्गत होने के 02 कार्यदिवस के अन्दर अवशेष सभी धनराशि जमा करना होगा। अन्यथा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी जिसके लिए कोई दावा/प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी।
14. निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञाति हेतु धनराशि जमा करना होगा। अन्यथा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी जिसके लिए कोई दावा/प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी।
15. निविदाकार को बालू भण्डारण स्थल से मुख्य मार्ग तक मार्ग की व्यवस्था/ निर्माण स्वयं के व्यय पर करना होगा। किसी तृतीय पक्ष के विवाद की स्थिति में राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।
16. ई-निविदा में दी गई दर को गुणा कर वास्तविक देय धनराशि निकाली जायेगी। अग्रिम के रूप में जमा 75 प्रतिशत की धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि अनुज्ञाति निर्गत करने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट /कोषागार चालान द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।
17. ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा, गुणवत्ता एवं भण्डारित स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में सौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
18. मा० उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (मा०एन०जी०टी०) द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश एवं उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021, उ०प्र० भण्डारण नियमावली-2018 तथा समय समय पर निर्गत समस्त सुसंगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन बाध्यकारी होंगा।
19. निविदाकर्ता के पक्ष में भण्डारित स्थल से बालू हटाने/परिवहन से यदि किसी तीसरे पक्ष को कोई क्षति पहुँचती है तो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु अनुज्ञाति धारक उत्तरदाती होगा।
20. भण्डारण स्थल पर बालू जहाँ भी है जिस अवस्था में है उसका सत्यापन स्वयं आवेदक करेगा। टेंडर स्वीकृत होने के बाद प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
21. सफल निविदादाता को देय रायल्टी पर 02 प्रतिष्ठत टी०सी०एस०, 10 प्रतिष्ठत जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास अयोध्या (डी०एम०एफ) तथा नियमानुसार अन्य देय जमा करना होगा।

(नितीश कुमार)
जिलाधिकारी,
अयोध्या।

तददिनांक:

पत्र संख्या— /क्वैरी कार्यो
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1—सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।

2—आयुक्त अयोध्या मण्डल अयोध्या।

3—निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय उ०प्र० खनिज भवन लखनऊ।

4—प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म, अयोध्या।

5—प्रबन्धक निदेशक, यूपी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, अशोक मार्ग, लखनऊ।

6—निदेशक, सूचना उत्तर प्रदेश लखनऊ को मय सी०डी० छ: प्रतियों सहित दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु।

7—राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी, लखनऊ।

8—जिला सूचनाधिकारी अयोध्या को निःशुल्क व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

9—उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार जनपद अयोध्या को व्यापक प्रचार प्रसार कराने हेतु।

जिलाधिकारी,
अयोध्या।